न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 220/21

तारीख 10-5-2021

लाडदेवी पत्नि विरेन्द्र कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: **आदेश** :– दिनांक 10-5-2021

प्रार्थना पत्र लाडदेवी पत्नि विरेन्द्र कुमार जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 228 पर अंकित आराजी संख्या 637 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद मे शपथपत्र सलग्न है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया खुर्द** को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500 – रूपये तय की जाती है उक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 228 पर अंकित आराजी संख्या 637 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 – रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ